कार्यालय कलेक्टर, अयोध्या।

संख्या 55 /आठ–वि0भू0अ0अ0/अयो0 दिनांक 16-05-2019

कार्यालय ज्ञाप

जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित 04 ग्रामों इदिलपुर,, पूरे लाल खां, मेवापुर मु0 देवगांव और इमामगंज की भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा–7(1) के अन्तर्गत प्रो0 मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गठित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट दिनांक 10.03.2019 प्राप्त हुई है। विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों को, उसके सार के साथ, समुचित सरकार/ जिला कलेक्टर, अयोध्या के पत्रांकः 53/आठ–वि0भू0अ0अ0–अयो0/दिनांक 16 मई 2019 द्वारा अधिनियम की धारा–7(6) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशनार्थ निर्गत किया गया है।

अतः समुचित सरकार द्वारा निर्गत उक्त सार को विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रकाशित करते हुए, जन सामान्य के सूचनार्थ जिले की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाय।

कलेक्टर,
अयोध्या।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूपीडा को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अयोध्या को जनपद अयोध्या की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, अयोध्या को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
4. उप जिलाधिकारी, मिल्कीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. तहसीलदार मिल्कीपुर को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायतों, उप जिला मजिस्ट्रेट और तहसील कार्यालयों को उपलब्ध कराते हुए एक–एक प्रति सम्बन्धित कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक सूचना हेतु चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि इसे कृपया जनपद अयोध्या के क्षेत्रांतर्गत प्रसारित दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

कलेक्टर,
अयोध्या।

कार्यालय समुचित सरकार/जिला कलेक्टर, अयोध्या।

पत्रांक 53 /आठ–वि0भू0अ0अ0/अयो0 दिनांक 16 मई, 2019

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में जनपद अयोध्या के 04 ग्रामों की प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु 'गिरि विकास अध्ययन सस्थान, लखनऊ' द्वारा प्रस्तुत सामाजिक समाघात अध्ययन की रिपोर्ट के मूल्याकंन हेतु प्रो0 मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में गठित बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रेषित मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 10.03.2019 का प्रकाशनः–

जनपद अयोध्या में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण हेतु, प्रभावित 04 ग्रामों की 1.15401 हे0 भूमि के अर्जन की सम्भावनाओं के दृष्टिगत, 'गिरि विकास अध्ययन सस्थान, लखनऊ' द्वारा प्रस्तुत की गयी सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट के मूल्यांकन हेतु 'भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013' की धारा–7(1) के अन्तर्गत बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह का गठन समुचित सरकार/कलेक्टर अयोध्या के कार्यालय–ज्ञाप संख्याः 1493/वि0भू0अ0अ0/दिनांक 30.11.2018 द्वारा किया गया है। प्रो0 मनीष कुमार वर्मा, अध्यक्ष, बहुशाखीय विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 10.03.2019 इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार कमेटी द्वारा दिनांक 03.02.2019, 23.02.2019, 09.03.2019 व 10.03.2019 को जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर के प्रभावित ग्रामों इदिलपुर, पूरेलालखां, मेवापुर मु0 देवगांव और इमामगंज का भ्रमण कर, परियोजना प्रभावित परिवारों से विचार विमर्श/बैठकें करके समाजिक–आर्थिक विन्दुओं पर अध्ययन किया गया है। इसके उपरान्त निम्नांकित आशय की आख्या प्रस्तुत की गयी है :–

1. प्रस्तावित परियोजना प्रथम दृष्टया सार्वजनिक हित में है, जिसके निर्माण से न केवल क्षेत्र का भौगोलिक विकास होगा वरन इससे क्षेत्र का सामाजिक व आर्थिक विकास भी होगा।
2. प्रभावित भूस्वामियों से वार्ता में समिति द्वारा यह पाया गया है कि अधिकांश भूस्वामी अपनी भूमि परियोजना के पक्ष में देने को तैयार हैं, किन्तु इसके बदले भूमि का पर्याप्त प्रतिकर चाहते है। साथ ही ग्रामवासियों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण उनके क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में लाभकारी सिद्ध होगा।
3. अधिकांश मामलों मे यह पाया गया है कि सर्किल दर के आधार पर प्रस्तावित प्रतिकर धनराशि, बाजार मूल्य से कम है। इसलिये समिति इस तथ्य के प्रकाश में, कि सर्किल दर माह दिसम्बर 2015 से बढ़ायी नहीं गयी है,जबकि भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2018–19 मे प्रस्तावित है, प्रबल सस्तुति करती है कि प्रतिकर धनराशि में नियमानुसार वृद्धि की जानी चाहिये।
4. प्रतिकर दर के निर्धारण हेतु सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र में एकरूपता होनी चाहिये जिससे भूस्वामियों में नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव को रोका जा सके।
5. ग्रामीणों द्वारा इस आशय की इच्छा व्यक्त की गयी है कि उनके आवागमन को सुचारू और निर्बाध बनाये रखने के लिय अतिरिक्त अंडरपास और सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया जाये।

अतः बहुशाखीय विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 10.03.2019 का सार, अधिनियम की धारा–7(6) के अन्तर्गत सार्वजनिक सूचना हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। मूल रिपोर्ट कलेक्टर कार्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

समुचित सरकार/
कलेक्टर,
अयोध्या।